प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : **माननीय श्री न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश**

सिविल पुनरीक्षण सं. 80 सन् 2008

श्रीमती संध्या देवी और अन्य

बनाम

संजीव कुमार गुप्ता और अन्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश के उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध दिनांक 06-11-2008

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : **माननीय श्री न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश**

सिविल पुनरीक्षण सं. 80 सन् 2008

आवेदनकर्ता
वादीगण

1. श्रीमती संध्या देवी, विधवा स्व. लक्ष्मी वादी चन्द गुप्ता, आयु लगभग 75 वर्ष
2. कन्हैया लाल पिता स्व. लक्ष्मी चन्द गुप्ता, आयु लगभग 50 वर्ष
3. राम लाल पिता स्व. लक्ष्मी चन्द गुप्ता, आयु लगभग 40 वर्ष
4. शंकर लाल पिता स्व. लक्ष्मी चन्द गुप्ता, आयु लगभग 35 वर्ष
5. कान्ति लाल पिता स्व. लक्ष्मी चन्द गुप्ता, आयु लगभग 32 वर्ष
6. कु. राजकुमारी पिता स्व. लक्ष्मी चन्द गुप्ता, आयु लगभग 30 वर्ष

सभी निवासी देवीगंज रोड, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण _____
प्रतिवादी

1. संजीव कुमार गुप्ता @ चुन्नू पिता स्व. सत्यनारायण गुप्ता, आयु लगभग 35 वर्ष
2. नवीन कुमार @ लड्डू गुप्ता, पिता सत्यनारायण गुप्ता, आयु लगभग 32 वर्ष
3. पंकज गुप्ता @ मुन्नू पिता स्व. सत्यनारायण गुप्ता, आयु लगभग 28 वर्ष

4. सूर्य प्रकाश गुप्ता पिता स्व. काशी चन्द गुप्ता, आयु लगभग 50 वर्ष

सभी निवासी देवीगंज रोड, नारायण सिन्धी दुकान के सामने, नगर अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

<u>सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन सिविल पुनरीक्षण</u>

उपस्थित	श्री संजय के. अग्रवाल सहित श्री सौरभ शर्मा, आवेदनकर्ताओं के अधिवक्ता। श्री प्रकाश गुप्ता सहित श्री राहुल मिश्रा, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

(6 नवम्बर, 2008 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविल (व्यवहार) प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन सिविल पुनरीक्षणीय क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए आवेदनकर्ताओं/वादियों ने जिला न्यायाधीश, अम्बिकापुर द्वारा व्यवहार वाद सं.9-ए/2003 में दिनांक 24-03-2008 को पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा आवेदनकर्ताओं/वादियों का दिनांक 12-03-2008 का व्य.प्र. संहिता के आदेश 23 नियम 1(3) के अधीन आवेदन जिसमें नया वाद प्रस्तुत करने की छुट के साथ वाद के प्रत्याहरण की अनुमति मांगी गई थी उसे खारिज कर दिया गया था।

(2) यह विवादित नहीं है कि व्यवहार वाद सं.9-ए/2003 में पक्षकारों के साक्ष्य लेने की शुरुआत नहीं हुई है।

(3) संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदनकर्ताओं/वादियों ने उक्त वाद दिनांक 12-11-2003 को गैर-उत्तरवादीगण /प्रतिवादियों के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि पर आरा मिल का कोई निर्माण खड़ा करने से रोकने हेतु स्थायी व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया था। वादी लक्ष्मी चन्द गुप्ता की मृत्यु के पश्चात्, आवेदनकर्ता, जो मृतक लक्ष्मी चन्द गुप्ता के विधिक प्रतिनिधि हैं, को प्रतिस्थापित किया गया। वाद इस कथन पर आधारित था कि लक्ष्मी चन्द गुप्ता स्व. मोतीलाल गुप्ता का दत्तक पुत्र है और मोतीलाल

गुप्ता द्वारा निष्पादित दिनांक 20-06-1970 की पंजीकृत वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि अर्थात् खसरा सं.1053/1 रकबा 2.19 एकड़ जो देवीगंज रोड, विजय मार्ग, केदारपुर अम्बिकापुर में स्थित है, का एकमात्र हकदार है। यह अभिकथन किया गया कि दिनांक 11-11-2003 को प्रतिवादियों ने वादग्रस्त भूमि पर आरा मिल स्थापित करने के आशय से वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शे में हरे रंग से अंकित भाग में प्लिंथ की खुदाई शुरू कर दी थी। प्रतिवादियों के इस अनधिकृत एवं अवैध कृत्य को देखते प्रतिवादियों को ऐसा करने से रोकने हेतु स्थायी व्यादेश की प्रार्थना की गई थी।

(4) प्रतिवादियों ने वादियों के कथनों का समग्र रूप से अस्वीकार करते हुए वादियों के इस कथन का प्रतिरोध किया कि आवेदनकर्ताओं/वादियों की आरा मिल वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1948 में स्थापित हुई थी। उत्तरवादीगण के पिता स्व. काशीचन्द गुप्ता एवं स्व. सत्यनारायण गुप्ता का वादग्रस्त भूमि पर जन्म से अधिकार था। यह और भी अभिकथन किया गया कि पूर्व के वाद व्यवहार वाद नं.2-ए/98 में वादी ने स्वीकार किया था कि वादग्रस्त भूमि पर उसका न तो अधिकार है और न ही आधिपत्य है। यह विशेष रूप से अस्वीकार किया गया कि दिनांक 11-11-2003 को प्रतिवादियों ने वादग्रस्त भूमि पर आरा मिल स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) व्यवहार वाद नं.9-ए/2003 की लंबितता के दौरान, वादी द्वारा व्य.प्र. संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अधीन संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादियों के विरुद्ध आरा मिल को हटाकर वादग्रस्त भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने हेतु अनिवार्य व्यादेश की अनुतोष को वाद-पत्र में सम्मिलित करने की प्रार्थना की गई थी। यह आवेदन विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10-10-2007 के आदेश अनुलग्नक पी-7 द्वारा खारिज कर दिया गया।

(6) दिनांक 12-03-2008 को वादियों द्वारा व्य.प्र. संहिता के आदेश 23 नियम 1(3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नलिखित कथन किया गया:

> **(3)** यह कि वादीगण के द्वारा, प्रतिवादीगण को वाद्भूमि को वाद प्रस्तुती दिनांक की स्थिति में लाने हेतु आज्ञापक निषेधाज्ञा आदेश प्रदान करने बावत आवेदन भी माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
> **(4)** यह कि वाद के लंबनकाल में प्रतिवादीगण के द्वारा बलपूर्वक वादग्रस्त का आधिपत्य लेकर उस पर आरा मशीन का संचालन करने से वादग्रस्त एवं वाद के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, जिससे वाद में प्राकृतिक त्रुटियां उत्पन्न हो गई हैं।

(5) यह कि उपरोक्त प्राकृतिक त्रुटियों के कारण वादीगण का वाद विफल होने की पूर्ण संभावना है, इस कारण वादीगण समान वाद विषय **(subject matter of instituted suit)** पर नवीन वाद पुनः प्रस्तुत करने की छूट के साथ अपना वाद वापस लेना चाहते हैं, जिस हेतु उन्हें अनुमति प्रदान करना न्यायोचित है, अन्यथा वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।
अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है, कि वादीगण को समान वाद कारण **(subject matter of instituted suit)** पर नवीन वाद प्रस्तुत करने की छूट के साथ लंबित व्यवहार वाद क्र. 9ए/03 वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।"

आवेदनकर्ता संख्या 4, शंकर लाल द्वारा आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया। शपथ-पत्र के कंडिका 7 एवं 8 में निम्नलिखित कथन किया गया:

(7) मैं शपथपूर्वक कथन करता हूं कि प्रतिवादी गण के द्वारा वादग्रस्त व उसके आसपास की अन्य भूमि एवं (खं.प्र. 1053/2) पर वाद के लंबनकाल में कब्जा कर लिये जाने से वादीगण एवं खं.नं.1053/2 के स्वामी रामनिवास गुप्ता संयुक्त रूप से उक्त समस्त भूमियों के कब्जा प्राप्ति हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार नये वाद में वादग्रस्त व प्रकार दोनों ही परिवर्तित हो जावेंगे। जिससे इस वाद में समाधान के माध्यम से समाविष्ट करना संभव नहीं है।

(8) मैं शपथपूर्वक कथन करता हूं कि उक्त स्थिति में वर्तमान लंबित वाद को वापस लेकर समान वाद कारण पर वादग्रस्त के तथा उक्त भूमियों के संबंध में तथा वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने से वादग्रस्त का व उसके लगी अन्य भूमियों का प्रतिवादीगण से कब्जा लेने हेतु एक ही वाद में साथ-साथ निराकरण हो जावेगा, जिससे वाद की बहुलता नहीं होगी, तथा प्रतिवादीगण को भी क्षति नहीं होगी।

ह0 शपथपूर्वक,
शंकर लाल गुप्ता"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अनावेदकर्ताओं द्वारा इस आधार पर आवेदन का प्रतिरोध किया गया कि व्य.प्र. संहिता के आदेश 23 नियम 1(3) के अधीन वाद के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। कंडिका 5 में निम्नलिखित कथन किया गया:

"5/ यह कि आवेदन पत्र की कडिका 5 में वर्णित तथ्य कि वादीगण का वाद प्रारूपित त्रुटिग्रस्त हो गया है, सत्य न होने के कारण इंकार है. व्य.प्र. संहिता के आदेश -23 नियम-1 में शब्द प्रारूपित त्रुटी को भले भी परिभाषित नहीं किया

> गया है, परन्तु विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त में प्रारूपित त्रुटि की जो व्याख्या की गई है, उस तरह की कोई प्रारूपित त्रुटि वादीगण के व्यवहार वाद में नहीं है, इतना ही नहीं यदि वास्तव में वादीगण के वाद पत्र में कोई प्रारूपित त्रुटि होती तो वादीगण ऐसी प्रारूपित त्रुटि का उल्लेख अपने आवेदन में अवश्य करते।"

यह दोहराया गया कि प्रतिवादियों की आरा मिल वादग्रस्त भूमि पर सन् 1947-48 से स्थापित है। प्रत्युत्तर के कंडिका 4 में निम्नलिखित कथन किया गया:

> "4/ यह कि आवेदन पत्र की कडिका 4 में वर्णित तथ्य कि प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष इस दावा के आयोजन के उपरांत बल पूर्वक कब्जा लेकर किसी नवीन आरामिल की स्थापना किए हैं, सत्य न होने के कारण इंकार है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण का स्पष्ट विनय है कि प्रतिवादीगण इस माननीय न्यायालय द्वारा जैसे ही इस बात की सूचना प्राप्त किए दिनांक 17/11/03 को ही इस माननीय न्यायालय को विधिवत सूचना दे दिए कि उनके द्वारा कोई नवीन आरा मिल की स्थापना नहीं की जा रही है, बल्कि वह 1947-48 से ही स्थापित है, की पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी, अम्बिकापुर द्वारा वि.व्य. वा. क्र-55/03 में प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी की गई है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) विद्वान जिला न्यायाधीश ने वादियों द्वारा प्रस्तुत व्य.प्र. संहिता के आदेश 23 नियम 1(3) के अधीन आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वाद में न तो कोई औपचारिक दोष है और न ही वाद के प्रत्याहरण का कोई औचित्य है। यह और भी उल्लेख किया गया कि वाद सन् 2003 से लंबित है। दिनांक 10-10-2007 को वादियों द्वारा प्रस्तुत व्य.प्र. संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अधीन आवेदन को खारिज करते समय न्यायालय ने यह अवलोकन किया था कि मांगे गए संशोधन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण दिनांक 08-12-2003 से वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य में हैं और इसलिए वादियों के लिए आरा मिल हटाने के पश्चात् आधिपत्य की अनुतोष को परिणामी अनुतोष के रूप में मांगना आवश्यक था। इस विषय के दृष्टिगत विद्वान जिला न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया था, यह अवलोकन करते हुए कि वादियों को वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य की अनुतोष के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। इस आधार पर विद्वान जिला न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया।

(9) आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए आवेदनकर्ताओं/वादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल द्वारा यह तर्क दिया गया कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने उपर्युक्त आधारों पर वाद के प्रत्याहरण की अनुमति देने से अस्वीकार करने में विधि की त्रुटि की है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अस्वीकृति का आदेश स्पष्ट रूप से न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में असफलता को दर्शाता है और इस न्यायालय के पुनरीक्षणीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की अपेक्षा करता है। **ई.एम.मणि बनाम टाटा टी लिमिटेड, मुन्नार एवं अन्य, एआईआर 2006 (एनओसी) 757 (केर.)**, **ब्रजमोहन सबतो बनाम सरोजिनी पाणिग्राही एवं अन्य, एआईआर 1975 उड़ीसा 39** और **दमयंती रानी बक्शी बनाम महाराज कुमार मेहता, एआईआर 2004 दिल्ली 422** का अवलंब लिया गया है।

(10) दूसरी ओर, गैर-आवेदनकर्ताओं/प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश गुप्ता ने आक्षेपित आदेश के समर्थन में तर्क दिया है। **के.एस.भूपति एवं अन्य बनाम कोकिला एवं अन्य, (2000) 5 एससीसी 458**, **उमा देवी एवं अन्य बनाम नगरपालिका, बेगमगंज एवं अन्य, 1999 (II) एमपीजेआर 487**, **विनोद कुमार गुप्ता बनाम श्रीमती रामादेवी शिवहरे एवं अन्य, 2008 (1) एमपीएचटी 83** और **दुर्गा प्रसाद एवं अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण मृतक के माध्यम से विधिक प्रतिनिधियों द्वारा, 2008(3) एमपीएचटी 233** का अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) व्य. प्र. संहिता के आदेश 23 नियम 1 में वाद की वापसी या दावे के भाग के परित्याग लिए उपबंध किए गए हैं। प्रावधान के संबंधित अंश यहां उद्धत किए जा रहे हैं:

आदेश 23

वादों का प्रत्याहरण और समायोजन

1.(1) वाद का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग (1) वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेंगा।

परन्तु जहां वादी अवयस्क है या ऐसा व्यक्ति है, जिसे आदेश 32 के नियम 1 से नियम 14 तक के उपबन्ध लागू होते हैं, वहां न्यायालय की इजाजत के बिना न तो वाद का और न दावे के किसी भाग का परित्याग किया जाएगा।

(3) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि- वाद त्रुटि के कारण विफल हो जाएगा, अथवा

(क) वाद किसी प्ररूप त्रुटि के कारण विफल हो जाएगा, अथवा

(ख) वाद की विषय-वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने के पर्याप्त आधार है,

वहां वह ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें वह ठीक समझे, वादी को ऐसे वाद की विषय-वस्तु या दावे के ऐसे भाग के सम्बन्ध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुए ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

4) जहां वादी-

(क) उपनियम (1) के अधीन किसी वाद का या दावे के भाग का परित्याग करता है, अथवा

(ख) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अनुज्ञा बिना वाद से दावे के भाग से प्रत्याहूत कर लेता है,

वहां ऐसे खर्च के लिए दायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णीत करे और वह ऐसी विषय-वस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संस्थित करने से प्रवारित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) **के.एस.भूपति एवं अन्य बनाम कोकिला एवं अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने वादों के प्रत्याहृण संबंधी विधि पर संक्षेप में निम्नलिखित विवेचना की है:

"12. वर्तमान नियम में यथा अधिनियमित वादों की प्रत्याहृण संबंधी विधि को सामान्यतया दो भागों में कहा जा सकता है:

(क) वादी न्यायालय की अनुज्ञा के बिना अधिकार के रूप में कोई वाद का परित्यक्त अथवा अपने दावे के भाग का परित्यक्त कर सकता है; उस दशा में वह समान वाद के कारण पर पुनः वाद करने से प्रवारित होगा। न तो वादी वाद या उसके भाग को करते हुए अपने लिए नया वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है, और न ही प्रतिवादी इस बात पर आग्रह कर सकता है कि वादी को वाद के साथ आगे बढ़ने के लिए बाध्य किया जाए; और

(ख) वादी, उप-नियम (3) में वर्णित परिस्थितियों में, न्यायालय द्वारा समान वाद के कारण पर नए सिरे से वाद करने की छुट के साथ वाद के प्रत्याहृण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी छुट न्यायालय द्वारा प्रदत्त होने से वादी को आदेश II नियम 2 और धारा 11 सि.प्र.सं. में वर्जना से बचने में सक्षम बनाता है।

13. सि.प्र.सं. के आदेश 23 नियम 1 का उपबंध सामान्य विधि के सिद्धांत का अपवाद है। इसलिए सिद्धांततः उप-नियम (3) के अधीन वादी का आवेदन उप-नियम (1) के अधीन उसे प्रदत्त निर्बन्धित स्वतंत्रता के प्रयोग में उसके आवेदन के बराबर नहीं माना जा सकता। पूर्व में यह वास्तव में न्यायालय से छुट की प्रार्थना है जो न्यायालय को ऐसी छुट के अनुदान को न्यायोचित ठहराने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व के संबंध में संतुष्ट करने के बाद दी जाती है। निस्संदेह, नियम 1 के उप-नियम (3) में परिकल्पित अनुज्ञा का अनुदान न्यायालय के विवेकाधिकार पर है किन्तु ऐसा विवेकाधिकार न्यायालय द्वारा सावधानी और परिस्थितिजन्य आधार पर प्रयोग किया जाना है। विवेकाधिकार के प्रयोग में विधायी नीति के प्रावधानों से स्पष्ट है कि उप-नियम (3) में जिसमें दो विकल्प प्रदान किए गए हैं; प्रथम जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि वाद किसी औपचारिक दोष के कारण असफल होना चाहिए, और द्वितीय जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि वादी को वाद या दावे के भाग के विषय-वस्तु के लिए नया वाद संस्थित करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं। उप-नियम (3) के खंड (ख) में न्यायालय को यह अधिदेश दिया गया है कि उसे वादी को कार्यवाही के समान कारण पर समान दावे या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने की अनुमति देने के आधारों की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। न्यायालय को व्य.प्र. संहिता के उपबंध के अधीन सौंपे गए कर्तव्य का निर्वहन करना है जिसमें विषय के सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करना सम्मिलित है, जिसमें पक्षकार को कार्यवाही के समान कारण पर वाद-विवाद का नया दौर प्रारंभ करने की अनुमति देने की वांछनीयता भी शामिल है। यह सब तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब आदेश 23 नियम 1 के अधीन आवेदन वादी द्वारा अपील के चरण में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे मामले में अनुज्ञा का अनुदान असफल वादी को अपने विरुद्ध आदेश या आदेशों से बचने और विवाद के स्वच्छ आधार पर नए सिरे से न्यायनिर्णयन की मांग करने में सक्षम बनाएगा। इससे विरोधी प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवाद के न्यायनिर्णयन का लाभ खोना पड़ सकता है। नई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वाद प्रस्तुत करने की अनुज्ञा के साथ वाद की वापसी की अनुमति से प्रतिवादी या यहां तक कि तृतीय पक्ष में निहित अधिकार का उन्मूलन भी हो सकता है। अपीलीय/द्वितीय अपीलीय न्यायालय को इस मामले पर अपना मन लगाना चाहिए ताकि आदेश 23 नियम 1(3) सि.प्र.सं. में निर्धारित शर्तों के साथ कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो सके ताकि कार्यवाही के समान कारण पर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुज्ञा के साथ वाद की वापसी की अनुमति देने में विवेकाधिकार शक्ति के प्रयोग हो सके। इस मत के समर्थन में एक और कारण यह है कि अपीलीय/द्वितीय अपीलीय चरण में वाद की वापसी से न्यायालयों के सार्वजनिक समय की बर्बादी होती है जो अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के बड़े संचय और मामलों के निपटान में अनुचित विलंब के दृष्टिगत वर्तमान समय में काफी महत्व रखता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) वर्तमान मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान जिला न्यायाधीश ने व्य.प्र. संहिता के आदेश 23 नियम 1(3) के अधीन निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग संबंधित विषयों पर विचार के पश्चात् अपनी शक्ति का प्रयोग किया है।

(14) प्रारंभ में वाद जो दिनांक 12-11-2003 को प्रस्तुत किया गया था, आवेदनकर्ताओं/वादियों ने केवल वादग्रस्त भूमि पर अपने शांतिपूर्ण आधिपत्य में उत्तरवादी/प्रतिवादियों के हस्तक्षेप को रोकने हेतु स्थायी व्यादेश की अनुतोष का दावा किया था। तत्पश्चात दिनांक 14-08-2007 को आवेदनकर्ताओं/वादियों द्वारा सि.प्र.सं. के आदेश 6 नियम 17 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें इस आधार पर कि न्यायालय द्वारा दिनांक 13-11-2003 को यथास्थिति का आदेश पारित होने के बावजूद भी उत्तरवादी/प्रतिवादियों ने दिनांक 08-12-2003 को आदेश का उल्लंघन करते हुए वादग्रस्त भूमि पर नई आरा मिल स्थापित की और चलाना प्रारंभ कर दिया, वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद की तारीख को जैसी स्थिति विद्यमान थी उसे बहाल करने हेतु उत्तरवादी/प्रतिवादियों के विरुद्ध अनिवार्य व्यादेश जारी करने की अनुतोष मांगी गई थी। यह आवेदन विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10-10-2007 के आदेश के द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि चूंकि उत्तरवादी ने दिनांक 08-12-2003 को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य अपने अधिकार में ले लिया था, अतः वादियों के लिए आधिपत्य का अनुतोष मांगना नितांत आवश्यक था। विद्वान जिला न्यायाधीश का यह करना

त्रुटिपूर्ण था क्योंकि आवेदनकर्ताओं/वादियों ने यह कथन किया था कि न्यायालय द्वारा दिनांक 13-11-2003 को यथास्थिति का आदेश पारित होने के बावजूद प्रतिवादियों ने दिनांक 08-12-2003 को वादग्रस्त भूमि पर नई आरा मिल स्थापित की थी। यह इसलिए आवेदनकर्ताओं/वादियों के लिए आधिपत्य की अनुतोष तथा उत्तरवादी/प्रतिवादियों के विरुद्ध यथास्थिति अर्थात् जैसी वाद की तारीख को स्थिति थी उसे बहाल करने हेतु अनिवार्य व्यादेश का अनुतोष मांगना पूर्णतः अनावश्यक था। उक्त आदेश को चुनौती देने के बजाय वादियों ने व्य.प्र. संहिता के आदेश 23 नियम 1(3) के अधीन वाद का प्रत्याहृण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना उचित समझा।

(15) विद्वान जिला न्यायाधीश ने पुनः दिनांक 24-03-2008 के आक्षेपित आदेश में निम्नलिखित अवलोकन किया:

> "दिनांक 10/10/07 को इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि वादपत्र भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है, अतः कब्जा पाने का अनुतोष मांगे बगैर आज्ञा मशीन हटाने का अनुतोष अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष मुख्य है। यदि वादीगण न उक्त निर्देश का पालन नहीं किया और आदेशानुसार-10 के पेश कर दिया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिनांक 10-10-2007 के आदेश के अधीन जो अंतिम रूप धारण कर चुका था, वाद तब तक असफल है जब तक कि वादियों द्वारा आधिपत्य का अनुतोष नहीं मांगा जायेगा। यह व्य.प्र. संहिता के आदेश 23 के नियम 1 के उप-खंड 3(क) के अधीन परिकल्पित "औपचारिक दोष" के दायरे में आएगा जिसके कारण वाद असफल हो जायेगा। वाद में विचारण प्रारंभ नहीं हुआ था। यदि आवेदनकर्ताओं/वादियों को वाद के विषय-वस्तु के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के साथ वाद से वापसी की अनुमति प्रदान की जाती तो उत्तरवादी/प्रतिवादियों के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। इसलिए यह एक उपयुक्त मामला था जिसमें विद्वान जिला न्यायाधीश को व्य.प्र. संहिता के आदेश 23 नियम 1(3) के अधीन आवेदन की अनुमति प्रदान करनी चाहिए थी जिससे आवेदनकर्ताओं/वादियों को वाद के विषय-वस्तु के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता मिल जाती। व्य.प्र. संहिता के आदेश 23 नियम 1(3) के अधीन आवेदन को खारिज करके

विद्वान जिला न्यायाधीश ने आदेश 23 नियम 1(3) के अधीन उसमें निहित क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग किया था।

(17) परिणामस्वरूप, सिविल पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा व्यवहार वाद सं.9-अ/2003 में दिनांक 24-03-2008 को पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। आवेदनकर्ताओं / वादियों को वाद के विषय-वस्तु के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के साथ वाद का प्रत्याहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ritruaj Burman